



Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

Reply to Original Application

No. 2018/HQ/ Admin/RTI-111

New Delhi: 27.03.2018

Shri Dheeraj Kumar Sharma
S/o Sh. Subhash Chandra Sharma
Village- Sirthaul, Post- Hathras Junction
Janpad-Hathras

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Original Application dated 16.02.18 received on 26.02.18 through CPM/Tundla office from Sh. Dheeraj Kumar Sharma.

You have submitted your above RTI application at CPM/ Tundla's office, The CPM/ Tundla's office, here the deemed CPIO, has forwarded the same along with their reply to this office which is attached. *As Annex. 'A'*

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/ Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.



(S.K.PANDA)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skpanda@dfcc.co.in

9717636811

Copy to:

CPM/Tundla : For information & Record only



डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

TDL/EN/RTI/212 (A)

दिनांक:- 21.03.2018

DGM/PIO

DFCCIL

New Delhi

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द शर्मा निवासी- ग्राम सिथरौली पोस्ट हाथरस जंक्शन जनपद- हाथरस, के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपके पत्र संख्या 2016/HQ/ADMIN/RTI-111 दिनांक 28.02.2018.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में श्री धीरज कुमार शर्मा पुत्र श्री सुभाष चन्द शर्मा निवासी- ग्राम सिथरौली पोस्ट हाथरस जंक्शन जनपद- हाथरस, की RTI प्राप्त हुई ,जो जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध है, वह निम्नलिखित है:-

क्रम सं	चाही गयी जानकारी	उपलब्ध जानकारी
1	132 के० वी० डबल सर्किट नार्थ सेंट्रल रेलवे 132 के० वी० पुरानी पारिषण लाइन के DFCCIL के परिक्षेत्र से विस्थापन हेतु ग्राम सिथरौली के किसानो को दिये गये प्रथम सूचना नोटिस एवं चेक व आपत्ति वाले किसानो की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	132 के० वी० डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के विस्थापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। तथा नोटिस सं०- 105, दिनांक-20.12.2014 को किसानों को प्रथम सूचना नोटिस दिया गया था। जिसकी फोटो कोपी संलग्न है। किसी भी किसान ने कोई भी आपत्ति नहीं की है अतः ऐसे किसानों की कोई भी सूची इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
2	मै० एसोसियेटेड पॉवर प्रा० लि० डेडिकेटेड फ्रेट कॉरपो० ऑफ इंडिया लि० 3/20 केपीएस टावर थर्ड फ्लोर, निकट तुलसी सिनेमा, मयूर काम्प्लेक्स, नगला पदी एनएच-02 आगरा द्वारा ग्राम पंचायत सिथरौली में डीएफसीसीआईएल द्वारा बनाई गयी नई रेलवे लाइन के समीप डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन को विस्थापित करके नई संशोधित लाइन से प्रभावित सिथरौली के किसानों की फसल का दिनांक-28.12.2014 से 15.09.2017 लगभग 3 वर्ष तक मै० एसोसियेटेड पॉवर स्ट्रैक्चर प्रा० लि० द्वारा टावर फाउन्डेशन, टावर इरेक्शन में नष्ट की गयी किसानों की फसल, टावर के लिए 08 लैग बनाने के लिए 12 फुट गडढे की खुदाई एवं क्षति हुई	डी०एफ०सी०सी०आई०एल० द्वारा बनाई गयी नई रेलवे लाइन के समीप डबल सर्किट 132 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन को विस्थापित करके नई संशोधित लाइन से प्रभावित सिथरौली के किसानों की फसल का दिनांक-28.12.2014 से 15.09.2017 तक लगभग 3 वर्ष में आपको टावर फाउन्डेशन के लिए रु० 57375 चैक सं०-063993 दिनांक- 28.01.2016 को टावर इरेक्शन के बावत तथा रु० 36,302 चैक सं० 416537 दिनांक- 04.08.2016 में आपको दिया गया है। जिसकी पावती संलग्न है। तथा आंकलन सम्बन्धित पेपर के ऊपर आपकी सहमती तथा हस्ताक्षर करने के बाद ही यह उपरोक्त पेमेंट आपको दिये गये हैं।

Dy. No 332/2018

26/3/18

(Handwritten Signature)



डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(रेल मंत्रालय का उपक्रम)

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

	जमी की पैमाइश आदि के आंकलन सम्बन्धी आपके द्वारा समय समय पर किये गये मुआयने की सत्यापित प्रामाणित छायाप्रति ।	
3	उद्यान विभाग द्वारा परियोजना से प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायत सिथरौली के किसानों की नष्ट हुई फसल का आंकलन जिला उद्यान अधिकारी, हाथरस द्वारा एवं उनके द्वारा मुआवजे का आंकलन की प्रामाणित छायाप्रति ।	इस सम्बन्ध में आपको अवगत किया जाता है की आप स्वयं हाथरस जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क करें ।
4	रेलवे द्वारा 132केवी लाइन/टावर लगाने के लिए किसानों की निश्चित भूमि का अधिग्रहण होता है ? अगर नहीं होता तो उस शासनादेश की प्रामाणित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।	इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 तथा इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अनुसार भू-स्वामी को उसकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया जाता है । क्योंकि जमीन अधिग्रहण का कोई भी प्रावधान नहीं है । इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की कापी संलग्न है ।
5	किसानों की फसल की क्षति के आंकलन के शासनादेश की प्रामाणित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।	किसानों की फसलो की क्षति के आंकलन उस टावर से प्रभावित क्षेत्रफल की गणना करने के बाद उस परिक्षेत्र की मंडी समिति से फसल के रेट तथा जिला कृषि अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी से प्रति हेक्टेयर फसल की उत्पादकता प्राप्त करने के बाद उसके आधार पर ही आंकलन किया जाता है । राज्य सरकार के सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।
6	आपके द्वारा किसान के खेत में लगाए गए वी-टाइप टावर के विषय में पूछना चाहता हूँ कि क्या टावर के अन्दर ट्रैक्टर आदि से जुताई की जा सकती है अथवा नहीं ? अगर की जा सकती है तो किस प्रकार ? अगर नहीं तो आपकी कम्पनी द्वारा किसान को समय समय पर जुताई के लिये आपके द्वारा क्या व्यवस्था की जायेगी ?	इस प्रकार की सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है ।

(सुभाष चंद्रा)

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/टंडला

श/ल ड/ए